उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-2815/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(32)-2008

लखनऊ::दिनांक:: 29 सितम्बर, 2008

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007) की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, राज्यपाल निर्देश देते हैं कि निम्नलिखित माल उक्त अधिनियम की धारा 12 के प्रयोजन के लिये अधिसूचित माल होंगे:-

क्रम संख्या	माल का विवरण
1	2
1.	बिना लेवी की चीनी
2.	सिगरेट के रूप में तम्बाकू
3.	लिखने, मुद्रण या पैकिंग में उपयोग का कागज, जिसमें समाचार पत्र का कागज सम्मिलित नहीं है
4.	तम्बाकूयुक्त पान मसाला (गुटका)
5.	सीमेन्ट
6.	हाई स्पीड डीजल, लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल आयल, सुपर लाइट डीजल आयल, सुपीरियर कैरोसिन आयल, फर्नेस आयल, रैजिडुअल फ्यूअल आयल, लो सल्फर हैवी स्टाक्स, हैवी पैट्रोलियम स्टाक्स और इसके समस्त भेद, किन्तु उनमें जन वितरण प्रणाली का कैरोसिन आयल सम्मिलित नहीं है
7.	केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित लोहा और इस्पात
8.	एल्यूमिनियम एवं इसके उत्पाद जिसमें एल्यूमिनियम के बर्तन सम्मिलित नहीं हैं।
9.	लैपटाप, कम्प्यूटर सिस्टम और पेरीफेरल्स, टी0वी0 जिसमें एल0सी0डी0 टी0वी0 सम्मिलित हैं
10.	रेफ्रीजरेटर, एअर कन्डीशनर एवं एअर कन्डिशनिंग प्लांट्स

आज्ञा से,

(गोविन्दन नायर)

प्रमुख सचिव।